कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–ए/115–918/ 1046 नवा रायपुर, दिनांक 25/04/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परितर्वत विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :– **आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर मैनेजर टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमि. द्वारा कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 0.536 हे. वन भूमि का वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव।**

संदर्भः– 1. छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्र एफ 5–06/2024/10–2 दिनांक 29.02.2024
2. वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल का पत्र क्र/तक.अधि./836 दिनांक 12.04.2024

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

उक्त चाही गई अतिरिक्त जानकारी पूर्ण कर संदर्भित पत्र–2 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार चूंकि प्रकरण 1 हे. से कम होने के कारण भारत सरकार के नवीन दिशा–निर्देश दिनांक 29.12.2023 के अनुसार प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है और कोई भी वृक्ष विदोहन नहीं हो रहा है। फिर भी न्यूनतम 100 वृक्ष की दर से 10 वर्षीय रखरखाव हेतु भारत सरकार एवं छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जो भी शुल्क निर्धारित है अथवा किया जायेगा उसे आवेदक संस्थान द्वारा भुगतान हेतु वचनबद्ध है। **(वचन पत्र संलग्न)**

इसी प्रकार भारत सरकार के नवीन दिशा–निर्देश की पुस्तिका के चेप्टर 3 के बिन्दु क्रमांक 3.5 (xi) अनुसार भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के प्रकरण जिसमें कोई भी वृक्षों का विदोहन नहीं हो रहा है और जो राष्ट्रीय पार्क/वन्यप्राणी अभ्यारण्य क्षेत्र के बाहर है, उसमें शुद्ध प्रत्याशा मूल्य में पुरी तरह से छूट का प्रावधान है।

अतः चाही गई अतिरिक्त जानकारी संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.सं. (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

—:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल कवर्धा (छ.ग.) ::—

Tel No.: 232230

E-mail : dfokabirdham@gmail.com

क्रमांक/तक.अधि./.....836 कवर्धा, दिनांक :— 12/04/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध/व.सं.अ.)
छत्तीसगढ़

विषय :— आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर मैनेजर टैलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमि. द्वारा कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 0.536 हे. वन भूमि का वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ :— आपका पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए/115–918/780 दिनांक 15.03.2024 ।

—✡✡✡—

निवेदन है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में चाही गई अतिरिक्त जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

सहपत्र :— उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल, कवर्धा

पृ.क्र./तक.अधि./.....837 कवर्धा,दिनांक :— 12/4/2024

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. Telesonic Networks Limited.3rd & 4th Floor, Scheme No. 54, A.B. Road, Metro Towers, Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

परिशिष्ट-5(A)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़, रायपुर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
1591
आवक क्र. 16/04/24

Telesonic Networks Limited
3rd & 4th floor, scheme no.- 54
A.B. road, metro tower,
Near vijay nagar square,
Indore- 452010 (M.P.) India

www.airtel.com
call +91 731 4222555
fax +91 731 40311 01

airtel

वैकल्पिक वृक्षारोपड़ योजना (CA)
की राशि जमा करने हेतु वचन पत्र

आवेदक संस्थान टेलीसोनिक नेटवकर्स प्रा0लि0 इंदौर (मध्यप्रदेश) द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमण्डल के अंतर्गत धवईपानी से बोडला तक मुख्य मार्ग के समानान्तर 4G आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु बंजारी से बोडला मार्ग के ग्रामों (बंजारी, पालक, चोरभट्टी, दियाबार प्लाट) मे उक्त कार्य हेतु 0.536 हे0 भूमि के व्यपवर्तन हेतु मांग प्रस्तावित है। चूँकि व्यपवर्तन प्रस्ताव 1 हे0 से कम वन क्षेत्र का है। निर्देशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपड़ योजना की आवश्यकता नहीं है और प्रकरण मे कोई वृक्ष विदोहन नही हो रहा हैं फिर भी न्युनतम 100 वृक्ष की दर से 10 वर्षीय रख रखाव हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जो भी शुल्क निर्धारित किया जायेगा उसे आवेदक संस्थान द्वारा भुगतान करने हेतु वचनबद्ध हैं।

देवेन्द्र अरोड़ा
टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रा. लि.
इंदौर (मध्यप्रदेश)

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5-06/2024/10-2 नवा रायपुर, दिनांक /02/2024

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता,प्राधिकृत अधिकारी, सिनियर मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 0.536 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-918/404, दिनांक 06.02.2024।

---00---

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत दिनांक 29.12.2023 को दिशा निर्देश प्रसारित की गई है। भारत सरकार के उक्त दिशा निर्देश के चेप्टर 4 के 4.1 अनुसार राज्य शासन को LWE क्षेत्र में 5.00 हे. तक 12 प्रकार के Public Utility Projects से संबंधित गैर वानिकी कार्यों में सामान्य अनुमोदन का अधिकार दिया गया है।

2/- भारत सरकार के उक्त दिशा निर्देशिका पुस्तिका के चेप्टर 4 के बिंदु क्र. 4.1(3) में Public Utility work के विवरण के बिंदु क्र. (iii) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल का उल्लेख है तथा इन्ही निर्देशों के तहत् बिंदु क्र. 10 (vi) में शुद्ध प्रत्याशा मूल्य तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना लेने का भी प्रावधान है। वहीं चेप्टर 3 के बिंदु क्र. 3.5 (xi) अनुसार भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के प्रकरण जो राष्ट्रीय पार्क/वन्यप्राणी अभ्यारण्य क्षेत्र के बाहर है उनमें शुद्ध प्रत्याशा मूल्य से छूट का प्रावधान है।

3/- अतः कृपया भारत सरकार के उपरोक्त दिशा निर्देश के अंतर्गत प्रकरण में लागू शुद्ध प्रत्याशा मूल्य तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संबंधी वांछित समस्त कार्यवाहियां पूर्ण करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
आवक क्र. 1499
दिनांक 15/02/24

(के.एल.मांझी)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ 5-06/2024/10-2 नवा रायपुर, दिनांक 29/02/2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
4. वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल, छत्तीसगढ़।
5. आवेदनकर्ता, Telesonic Networks Limited, 3Rd & 4 th Floor, Scheme No. 54 A.B. Road metro Towers Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

भूप्रबंध-I (A)

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit